न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 04 / 2022

जी.सी.एम.एस नम्बर –2022 / 8

प्रार्थीः–

विमला पत्नी स्व. बाबुलाल जाति सरगरा निवासी घेनडी पंचायत समिति रानी तहसील रानी जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. ग्राम पंचायत घेनडी वर्तमान पिलोवनी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पिलोवणी तहसील रानी
2. मोहनलाल पुत्र दौलाराम जाति सरगरा निवासी घेनडी
3. जस्साराम पुत्र दौलाराम जाति सरगरा निवासी घेनडी तहसील रानी जिला पाली
4. चम्पालाल पुत्र जस्साराम जाति सरगरा निवासी घेनडी तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार
2. अप्रार्थी संख्या 02,03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः 13-2-2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा मिसल संख्या 05 / 1995–1996 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तत्कालीन विकास अधिकारी रानी द्वारा दिनांक 25.12.1975 को प्रार्थीया के पति स्व. बाबुलाल पत्रु जीताराम सरगरा निवासी घेनड़ी के पक्ष में अनुसूचित जाति का होने के कारण ग्राम घेनडी में 30 बाई 45 फिट भुखण्ड का पट्टा निःशुल्क जारी कर कब्जा सुपुर्द किया था, जिसका पड़ौस पुर्व में राजाराम भुदर, पश्चिम शेषाराम पुत्र मगना, उत्तर में आम गली एवं दक्षिण आम गली आयी हुयी है। प्रार्थीया के पति एवं पट्टाधारक बाबुलाल का बिमारी से दिनांक 28.08.2021 को देहांत हो गया जिसका फायदा उठाते हुए अप्रार्थी मोहनलाल व जस्साराम ने ग्राम विकास अधिकारी पिलोवनी से मिलीभगत कर जैर निगरानी आराजी पर जोर जबरदस्ती तारबदीं कर अवैध रूप से अनाधिकृत कब्जा कर अवैध निर्माण कार्य कर रहे है। उक्त कार्यवाही से प्रार्थीया ने ग्राम विकास अधिकारी, बी.डी.ओ रानी,उपखण्ड अधिकारी रानी एवं पुलिस थाना खिवाड़ा को अवगत करवाया एवं शिकायत की जिस पर थानाधिकारी पुलिस थाना खिवाड़ा ने बताया की जैर निगरानी आराजी का अप्रार्थीगण के पास पट्टा बना हुआ है जिस पर ग्राम पंचायत पिलोवनी से उक्त जैर निगरानी आराजी के पट्टे से संबंधित मिसल की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर ग्राम पचांयत पिलोवनी ने बताया की जैर निगरानी आराजी के संबध में किसी प्रकार का रेकर्ड ग्राम पंचायत में नही है। ग्राम पंचायत ने बिना जाचं किये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जिसके संबध में किसी प्रकार का रेकर्ड भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नही है जिससे स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों की पालना किये बगैर अप्रार्थीगण को फायदा पहुचाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 02 व 3 के पक्ष में जारी कर दिया, जबकि जैर निगरानी आराजी का पुर्व में प्रार्थीया के पति बाबुलाल पुत्र जीताराम जाति सरगरा के पक्ष में दिनांक 25.12.1975 को पट्टा जारी हो चुका है फिर भी अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 व 03 से मिलीभगत कर बाले बाले पंचायत नियमों के विरूद्ध जाकर वर्ष 1995 में अप्रार्थीगण के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीया ने जैर निगरानी ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा मिसल संख्या 05/1995–96 एवं उसके पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत पेश की है। प्रार्थिया द्वारा कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर पुर्व में प्रार्थीया के पति बाबुलाल के पक्ष में पट्टा जारी किया जा चुका है, जिसके संबध में प्रार्थीया द्वारा पत्रावली के सलंग्न पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाबुलाल पुत्र जीताराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4589 जैर निगरानी आराजी से संबधित नही है क्योंकि पट्टे संख्या 4589 में अंकित पड़ौस जैर निगरानी आराजी के भुखण्ड से मिलान नही करते है जिससे स्पष्ट होता है की प्रार्थीया जिस पट्टे की आड़ में जैर निगरानी पट्टा खारिज करवाने के लिए निगरानी श्रीमान के समक्ष पेश की है उससे जैर निगरानी आराजी का कोई संबध नही है न ही ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध है। पट्टा अलग अलग है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्योयोचित प्रतीत नही होता है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत घेनडी वर्तमान पिलोवनी द्वारा मिसल संख्या 05/1995–1996 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे के संबध में ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्र में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड होना नही पाया गया। प्रार्थीया ने अपने निगरानी प्रार्थना पत्र में कथन किया कि जैर निगरानी आराजी के संबध में प्रार्थीया के पति बाबुलाल के पक्ष में पुर्व में पट्टा जारी हो चुका है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थीया के पति बाबुलाल के पक्ष में निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जिसके संबंध में प्रार्थीया के द्वारा केवल पट्टे की प्रति पेश की है जिसके संबध में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड होना नही पाया गया एवं न ही जैर निगरानी आराजी पर निःशुल्क पटटे की शर्तो के आधार पर प्रार्थीया या उसके पति का किसी प्रकार का कब्जा या निवास था, ऐसे में प्रार्थीया के पति के द्वारा जारी निःशुल्क पट्टे की आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा या निवास नही किया गया है जो निःशुल्क पट्टे की शर्तो का उल्लंघन है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी आराजी पट्टे प्रति पेश की जो अपुर्ण है जिसके आधार पर किसी नतीजे पर नही पहुचां जा सकता है कि जैर निगरानी पट्टा प्रार्थीया के पति के नाम जारी पट्टे की आराजी पर ही जारी किया गया हो। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा मिसल संख्या 05/1995–1996 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की सत्यप्रति ग्राम पंचायत घेनडी हाल पिलोवणी को प्रेषित की जावें।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 13-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली